फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक – 19.03.2026

एसओजी/सर्विलांस/कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम द्वारा 25000/ रूपये का इनामिया शातिर अभियुक्त लूटे गये कुण्डल, अवैध तमंचा व कारतूस के साथ पुलिस मुठभेढ़ में किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 66/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित वाछिंत इनामी अभियुक्त कुलदीप को मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेढ़ में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी व बरादमगी के आधार पर मु0अ0सं0 69/2026 धारा 109(1) (पु0मु0) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. कुलदीप पुत्र संजीवन सिंह निवासी मिलक इलाही अलईयापुर थाना पटियाली जनपद कासगंज।

घटना का विवरण- वादी मुकदमा राम पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम करनपुर घाट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ द्वारा दिये गये प्रा0पत्र वादी की मोटर साइकिल को तमंचे के बल पर दो ज्ञात मोटर साइकिल सवार द्वारा रोककर वादी मुकदमा की बहन के कान के कुन्डल तथा पर्स जिसमें 1150 रूपये तथा आधार कार्ड की छायाप्रति रखी थी को बल पूर्वक लूट लेने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 66/26 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के आधार पर अभियोग में 01- शनी 02- कुलदीप पुत्र संजीवन सिंह निवासी मिलकइलाही अल्लैयापुर थाना पटियाली जनपद कासगंज का नाम प्रकाश में आने पर अभियुक्त शनी उपरोक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से एक पर्स(लेडीज), 1150/रूपये नगद व आधार कार्ड की छायाप्रति व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामदगी करते हुए जेल भेजा जा चुका है। अग्रिम विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.03.2026 को अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त की घेराबंदी कर गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त के बाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल अभियुक्त को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु डॉ0 राममनोहर लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद भेजा गया। उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 69/2026 धारा 109(1) बीएनएस (पु0मु0) एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त ने पूछताछ पर अपने जुर्म इकबाल करते हुए बताया कि मैनें अपने साथी शनी के साथ तमंचे के बल पर मोटर साइकिल पर सवार महिला के कुण्डल व पर्स लूट लिया था। हमसे गलती हो गयी, माफ कर दीजिए।

बरामदगी का विवरण-

01. एक तमंचा 315 बोर
02. एक जिंदा कारतूस 315 बोर
03. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
04. 01 खोखा कारतूस तमंचा की नाल में फसा हुआ 315 बोर
05. दो कुण्डल (पीली धातु)

अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0 66/26 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
02. मु0अ0सं0 69/26 धारा 109(1) बीएनएस(पु0मु0) व 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
03. मु0अ0सं0 0021/24 धारा 379/411 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री मदन मोहन चतुर्वेदी
2. उ0नि0 श्री सोमवीर सिंह
3. उ0नि0 श्री बलवीर सिंह
4. हे0का0 धर्मेन्द्र तिवारी
5. हे0का0 रत्नेश कुमार
6. का0 आर्य चौधरी
7. का0 सचिन कुमार
8. का0 अंकित पवार
9. का0 मेघश्याम

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीमः-

01. सचिन सिंह चौधरी (प्रभारी एसओजी) मय टीम

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस टीमः-

01. सन्तकुमार (प्रभारी सर्विलांस टीम) मय टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।